



राज्य शिक्षा केन्द्र

पुरातक भवन, बी-ब्लिग, अरिंरा हिल्ल, भोपाल-462 011
दूरभाष: (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फ़ैक्स: 2552363, 2760561

I/792186/2026

05-02-2026

प्रति,

- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
- समस्त जिल्ल शिक्ष अधिक्करी, मध्यप्रदेश
- समस्त जिल्ल परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश

विषय:- राष्ट्रीय शिक्ष नीति के अनुसार पूर्ण प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु निर्धारण के संबंध में।
उपरोक्त विषयसंबंधित भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अ.स.पत्र क्र. 22-7/2021 EE 19/15-13 दिनांक 09.02.2023 के परिचालन में राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक/आरएसके/आरटीई/2025/1420 भोपाल दिनांक 28.03.2025 द्वारा सब 2025-26 के लिए पूर्ण प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु आयु सीमा निर्धारित की गई थी।

2/ सब 2026-27 से आगमी आदेश तक के लिये पूर्ण प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आयु सीमा निर्धारित की जाती है:-

क्रमंक	प्रवेश हेतु कक्षा	न्यूनतम आयु / अधिकतम आयु
1	नर्सरी	न्यूनतम आयु 03 वर्ष एवं अधिकतम आयु 04 वर्ष 06 माह
2	K.G.I	न्यूनतम आयु 04 वर्ष एवं अधिकतम आयु 05 वर्ष 06 माह
3	K.G.II	न्यूनतम आयु 05 वर्ष एवं अधिकतम आयु 06 वर्ष 06 माह
4	कक्षा-1	न्यूनतम आयु 06 वर्ष एवं अधिकतम आयु 07 वर्ष 06 माह

3/ प्री-प्राथमिकी कक्षाओं (नर्सरी, के.जी.1, के.जी.2) के लिये न्यूनतम आयु की गणना संबंधित सब की 31 जुलाई तक कक्षा 1 के लिये 30 दिन मूल्य से की जाएगी।

I/792186/2026

प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय राज्य स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
- सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मण्डल शासन।
- आयुक्त लोक शिक्षण संचालनलय, म.प्र. भोपाल।
- आयुक्त अदिव्यती विवरस विभाग, म.प्र. भोपाल।
- प्रबंध संचालक म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल।
- समस्त संभगीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
- समस्त मुख्य एवंप्राथमिक अधिक्करी, जिल्ला पंचायत मध्यप्रदेश।
- समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मण्डल।
- समस्त जिल्ला शिक्ष अधिक्करी, मध्यप्रदेश।
- जिल्ला परियोजना समन्वयक, जिल्ला शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

05-02-2026

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

Digitally signed by
Harjinder Singh
Date: 05-02-2026
18:10:07